न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-8/2012

1- नोपसिंह पुत्र पहपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खूडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर(राज0)-- मृतक--

1/1- गुमानकंवर पत्नी स्व0 नोपसिंह-- नाम हजफ

1/2- भवानीसिंह पुत्र

1/3- नाथु कंवर पुत्री

1/4- संतोषकंवर पुत्री

1/5- धापूकंवर पुत्री

सभी स्व0 नोपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खूडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1- अजीतसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर(राज0)

2- प्रहलादसिंह पुत्र पहपसिंह जाति राजपूत(निवासी ग्राम जसरासर तहसील

3- बनवारीलाल पुत्र भैरूराम जाति जाट(लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

4- प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

5- तहसीलदार तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

6- उप पंजीयक तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

7- पटवारी हल्का ग्राम जसरासर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 15-12-2011 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री महेशकुमार शर्मा एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री तुलसीराम सोनी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 31.7.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के संयुक्त खाते कब्जे एवं काश्त की आराजी खसरा नं0 206 रकबा 8.7100 हैक्टर वाके ग्राम जसरासर में वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-2 का 2.23 हैक्टर हिस्सा व प्रतिवादी सं0-3 का 0.67 हैक्टर हिस्सा है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 इस आराजी के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है। जिसका विधिवत रूप से आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ । केवल अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिस्सेनुसार काश्त करते आ रहे हैं ।प्रतिवादी संख्या-2 वादी से नाराज होने से उक्त आराजी के 1/3 हिस्से में से 0.67 हैक्टर भूमि दिनांक 22-6-2006 को प्रतिवादी संख्या-3 को विक्रय कर दिया । तथा प्रतिवादी संख्या-3 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी भूमि को लेने के लिये वादी से झगडता रहता है तथा प्रतिवादी सं0-2 व 3 वादी की आराजी के पिलर तोड देते हैं तथा लडाई झगडा करने पर उतारू है।अतः वादी ने यह दावा उक्त आराजी में अपना हिस्सा विधिवत अलग कराने के लिये यह दावा पेश किया। अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा का अलग अलग खाता कायम किया जाकर अलग अलग खसरा नं0 कायम किये जावे तथा प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें । अदालत मातहत ने अदालत मातहत ने वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत द्वारा पूर्व में तहसीलदार लक्ष्मणगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व उसके आधार पर पारित प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री को निरस्त कर दिया गया तो फिर दिनांक 15-12-2011 को उसी विभाजन प्रस्ताव पर ही सीधे अन्तिम

मातहत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है । अदालत मातहत द्वारा दिनांक 13-10-2011 को पूर्व में पारित एकतरफा डिक्री को निरस्त किया गया । इसके पश्चात दिनांक01-12-2011 तक अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन रखा था । जिसमें अपीलान्ट की कोई गलती नहीं है।एक पेशी के बाद ही ~~00~~ बिना जबाब दावा दिये ही दावा का निर्णय कर दिया जबकि अपीलान्ट 75 वर्ष का वृद्ध है जो एक तारीख पर उपस्थित नहीं हो सका अदालत मातहत को न्यायहित में अपीलान्ट की उम्र को देखते हुये जबाब दावा के लिये एक पेशी ओर देनी चाहिये थी किन्तु अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर दिये आदेश पारित कियाहै ।अदालत मातहत का आदेश जल्द बाजी में किया गया आदेश है । तहसीलदार लक्ष्मणगढ के द्वारा जो विभाजन का प्रस्ताव मंगवाया गया उस विभाजन के प्रस्ताव में अपीलान्ट को विभाजन कर ख0नं0 206 की भूमि का जो हिस्सा दिया है वह खसरा नं0 206/5 से दिखाया गया है । लेकिन विभाजन के मानचित्र में इस हिस्से को अपीलान्ट को दिया है किन्तु इसमें कोई रास्ता नहीं दिया गया है ।अपीलान्ट के हिस्से में 26 बीघा भूमि बताई गई है । जबकि अपीलान्ट के ~~0000~~ के कब्जे में मात्र 18 बीघा भूमि है। शेष भूमि अपीलान्ट को किस तरह से दी जावेगी । यह प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं किया गया है ।इस कारण विभाजन प्रस्ताव सुविधाजनक नहीं है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2061 से 2064 में ख0नं0 206 रकबा 8.71 हैक्टर की खातेदारी जीतसिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह हि0 1/3, नोपसिंह, प्रहलादसिंह पि0 पहपसिंह हि0 2/3 हि0ब0 दर्ज है ।जमाबन्दी पर नामान्तरकरण सं0- 804

दिनांक 27-8-2006 के द्वारा विक्रय पत्र से प्रहलादसिंह हि0 1/3 के स्थान पर बनवारीलाल पुत्र केशारराम हि0 रकबा 0.67 हैक्टर जाति जाट सा0दे0 प्रहलादसिंह पुत्र पहपसिंह हि0 रकबा 2.13 हैक्टर दर हि0 1/3 स्वीकार किया । जमाबन्दी में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 का प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज है । जिसमें विक्रय पत्र से रेस्पोडेन्ट संख्या-2 ने 0.67 हैक्टर भूमि का बैयान रेस्पोडेन्ट संख्या-3 को की है ।विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 को प्रत्येकको 2.87 हैक्टर, 2.87 हैक्टर दी है। रेस्पोडेन्ट संख्या-2 द्वारा 0.67 हैक्टर भूमि का बैयान रेस्पोडेन्ट सं0-3 को किये जाने पर दोनो को मिलाकर 2.87 हैक्टर दी है। इस प्रकार तीनों भाईयों को कुल 8.61 हैक्टर भूमि का विभाजन कर खसरा नम्बर अलग अलग किये है तथा 0.10 हैक्टर भूमि जिसके ख0नं0 206/3 दर्ज किये है वह रास्ते के लिये दी है । इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव में विभाजन समान रूप से किया गया अब अपीलान्ट का यह कहना की मुझे जबाब पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया ।अदालत मातहत की आदेशिका में प्रतिवादी/अपीलान्ट की तामिल दिनांक 3-5-2011 को हो चुकी। हाजिर नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 13-10-2011 को अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0-1 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्ट के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त की जा चुकी। अपीलान्ट को जबाब देही का अवसर दिया गया । दिनांक 15-12-2011 को अपीलान्ट/प्रतिवादी सं0-1 स्वयं अथवा इनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। इस पर जबाब बन्द किया गया है ।तथा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की है जिसमें पक्षकारों को मुताबिक राजस्व जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार आराजी का बंटवारा किया गया है । जमाबन्दी के हिस्से के अनुसार भूमि दी है ।किसी को भी कम ज्यादा नहीं दी है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक दिया

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि

है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15-12-2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.7.2018 को सुनाया गया ।

31/7/18

(भंवरलाल सेहरा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर